N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0266 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/11/2024 19:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:19 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/11/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/11/2024 19:04:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 155 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** CHIKITSA AVM SWASTHYA VIBHAG, KARYALYA ADHISHASHI ABIYANTA, DISTRICT ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** INDRASEN KULDIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DEVILAL KULDIYA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON 5KHR KHARA KHEDA, TIBBI, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON 5KHR KHARA KHEDA, TIBBI, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAGAN LAL MEENA		पिता:KISHORILAL	1. A-1,NARSING VATIKA JAGATPURA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
2	SITARAM		पिता:PALTURAM	1. C-59,SURYANAGAR,वैशाली नगर,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
3	JAYNARAYAN SHARMA		पिता:RAMPRSAD SHARMA	1. POST BARA BHA BHADKOL,GRAM MAHARAJPURA,ALWAR,RAJAS
4	PAVAN KUMAR JEN		पिता:NA MALUM	1. B.C.M.O. RAJKIYA CHIKITSALYA,LALSOT,DAUSA, RAJASTHAN,INDIA
5	AJAY JORWAL		पिता:Na Malum	1. CHIKITSA AVM SWASTHYA VIBHAG,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

6	RAMVATER AND OTHERS		पिता:Na Malum	1. SAHYK ABHIYNTA VIBHAG,CHIKITSA AVM SWASTHYA VIBHAG,DAUSA,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

दिनांक 04.07.2024 को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बैठे व्यक्ति का परिचय श्री इन्द्रसेन पुत्र श्री देवीलाल जाति- जाट, उम्र- 38 साल निवासी- गांव 5KHR खारा खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल- निवासी- डी- 239, सनसिटी टाउनशिप, सीकर रोड बड पीपली जयपुर का परिवादी के रूप में परिचय करवाकर परिवादी श्री इन्द्रसेन द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित आदेश कर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर उक्त पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री इन्द्रसेन को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा कुर्सी पर बैठाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें परिवादी द्वारा "सेवामें, श्रीमान् अति. पुलिस अधिक्षक SIU ACB JAIPUR विषय - रिश्वत मांग करने पर पकडवाने बाबत, महोदय निवेदन है कि मै बालाजी कन्ट्रक्शन कम्पनी का प्रोपराईटर हूं। मेरी फर्म को स्वास्थ्य विभाग में उपस्वास्थ्य केन्द्र राजोली व टोडा ठेकला (लालसोट) का वर्क आर्डर मिला हैं। जिसमें दोनो साइड राजौली व टोडा ठेकला का कार्य पूर्ण हो चुका हैं। उन दोनो कार्य हेण्ड ओवर टेकन ऑवर होना हैं जिसके लिए मैंने BCMO लालसोट पवन कुमार जैन से बात की तो बोले कि AEN साहब से बात कर लेना, तो मैनें AEN अजय जोरवाल जी से बात की AEN साहब का मोबाईल से दिनांक 04.07.2024 को वाट्सप समय 8.15 AM काल आया और उन्हौनें कहा कि उद्घाटन करने का खर्चा भी आप को ही देना होगा। और BCMO हेण्ड ओवर व टेकन ऑवर के आप से 10,000 रूपये एक साइड के मांगेगा। आप 5000 से 7000 रूपये तक एक साईड के दे देना। बोल देना कि सर उद्घाटन में खर्चा हो गया। इसलिए इते ही दे पांउगा। BCMO व AEN हेण्ड ऑवर टकन ऑवर व उद्घाटन के नाम के खर्चा के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे है। इसके अलावा एईएन साहब, अधिशाषी अभियंता कार्यालय अलवर से मेरी फर्म के पूर्व बिल पास करवाने की एवज में वहंा के अधिकारियों के लिए बतौर कमीशन रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं उन्है रंगे हाथो रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। मेरी कोई उन से रंजिश नहीं हैं न ही कोई उधार लेन देन बकाया हैं। उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में मजीत दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री इन्द्रसेन ने बताया कि उपरोक्त रिपोर्ट मेरी स्वयं की लिखी हुई हैं। मैं बालाजी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का प्रोपराईटर हूं। मेरी फर्म को उप स्वास्थ्य केन्द्र टोडा ठेकला व राजोली का वर्क आर्डर दिनांक 06.02.2023 को मिला था, जिस पर राजौली व टोडा ठेकला उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उपरोक्त दोनो कार्या का हंड ऑवर टेकन ऑवर होना शेष हैं। जिसके लिए मैं सीएचओ टोडा ठेकला श्री पिन्टू मीणा व सीएचओ राजौली राकेश मीणा से मिला तो दोनो ने कहा कि हमे BCMO साहब पवन कुमार जैन कहेंगे जब हम हैंड ऑवर टेकन ऑवर पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात मैं BCMO लालसोट श्री पवन कुमार जैन से मिला तो उन्हौनें मुझे ए.ईएन. श्री अजय जोरवाल से बात करने के लिए कहा तो आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर एईएन श्री अजय जोरवाल के मोबाईल नम्बर [redacted] से वाट्सएप कॉल आया तो एईएन साहब ने मुझे कहा कि उद्घाटन का खर्चा तो आपको ही देना पडेगा तथा हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए BCMO को एक साईट के

पांच से सात हजार रूपये दे देना इससे ज्यादा मांगे तो बोलना की मेरे उद्घाटन में खर्चा हो गया। इस प्रकार से BCMO पवन कुमार जैन व एईएन श्री अजय जोरवाल मुझसे हेंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए पांच से सात हजार रूपये एक साईट के मांग रहे हैं तथा दोनो साईटो के उद्घाटन में लगने वाला खर्चा मुझे ही भुगतान करने के लिए कह रहे है, जबकि टेण्डर की शर्ता के अनुसार हमें केवल भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात भवन निर्देशानुसार संबंधित को हेंड ऑवर टेकन ओवर कराना होता हैं। हमें टेण्डर में भवन के उद्घाटन के खर्च संबंधी कोई राशि विभाग द्वारा नहीं दी जाती हैं, हेंड ऑवर टेकन ओवर होने के पश्चात ही मेरे फाईनल बिल बनेंगे तथा मै मेरा पेमेण्ट उठा पाउंगा। हेंड टेकन ओवर नही होने के कारण मुझे मेरा पेमेण्ट नही मिल रहा है। मैं मेरी फर्म को मिले वर्क ऑर्डर तथा मेरी फर्म के रजिस्टे्शन के कागजात की मेरी स्वयं की आधार कार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवादी ने बताया कि उक्त दोनो निर्माण कार्यो का दिनांक 06.07.2024 को उद्घाटन होना हैं, जिसके उद्घाटन के खर्चे के लिए मुझे बीसीएमओ साहब व एईएन साहब बार बार फोन कर रहे हैं तथा हैंड ओवर टेकन ऑवर होने के पश्चात एईएन दौसा व एक्सईएन अलवर भी स्वयं व उनके अन्य अधिकारी/कर्मचारी मुझसे मेरे बिल पास करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग करेगें, आदि रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा प्रथम दृष्ट्या रिश्वत मांग का पाया जाता हैं। चंुकि परिवादी ने बताया हैं कि उसके पास उद्घाटन के खर्चे के लिए बीसीएमओ व एईएन के फोन आ रहे हैं अतः ऐसी सूरत में परिवादी के फोन पर आने वाले कॉल को लाउडस्पीकर पर कर डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय में उपस्थित श्री रमजान कानि0 नं0 466 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी, सनडिस्क)मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी का परिचय कानि0 श्री रमजान से करवाया जाकर अग्रिम गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही कानि0 के साथ में रहकर करने की आवश्यक हिदायत की गई। कानि0 को भी परिवादी का परिचय दिया जाकर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाया गया, बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कोर्ड दोनों को परिवादी के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी तथा कानि0 दोनों को दिखाया गया। परिवादी को कार्यालय में ही बैठे रहकर संदिग्ध अधिकारीगण के कॉल आने का इन्तजार करने व कॉल आने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्रसेन ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल न0 [redacted] पर एईएन अजय जोरवाल के मोबाईल न0 [redacted] से कॉल आ रहा हैं, एईएन साहब फोन पर मुझसे उद्घाटन के पैसो के संबंध में बात करंेगे जिस पर सत्यापन हेतु वार्ता रिकॉर्ड करना आवश्यक होने से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को लाउडस्पीकर पर वार्ता करने की हिदायत की गई। संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को 12,000 रूपये पत्थर वाले को देने संबंधित वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई। फोन डिस्कनेक्ट होने पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर सुना गया तो उक्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होना पायी गई। जिसकी वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा बीसीएमओ से बात करने हेतु कहा गया है। परिवादी को पुनः बीसीएमओ के फोन के इन्तजार में कार्यालय में ही बैठे रहकर फोन आने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्रसेन ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल न0 [redacted] पर बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन के मोबाईल न0 [redacted] से कॉल आ रहा हैं, बीसीएमओ साहब फोन पर मुझसे उद्घाटन की व्यवस्था करने के संबंध में बात करंेगे, जिस पर सत्यापन हेतु वार्ता रिकॉर्ड करना आवश्यक होने से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को लाउडस्पीकर पर वार्ता करने की हिदायत की गई। संदिग्ध अधिकारी द्वारा उद्घाटन की व्यवस्था के संबध्ं में वार्ता की गई हैं व अपने अधीनस्थ कर्मचारी फौजदार द्वारा परिवादी को फोन पर उद्घाटन संबंधी समस्त व्यवस्था के बारे में बताने हेतु कहा हैं व संदिग्ध अधिकारी द्वारा उद्घाटन संबंधी समस्त व्यवस्था परिवादी के द्वारा की किये जाने संबधी वार्ता की गई हैं जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई। फोन डिस्कनेक्ट होने पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर सुना गया तो उक्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होना पायी गई। वार्ता की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार की जायेगी। अतः परिवादी को पुनः बीसीएमओ के अधीनस्थ कार्मिक फौजदार के फोन के इन्तजार में कार्यालय में ही बैठे रहकर फोन आने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्रसेन ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल न0 [redacted] पर एईएन अजय जोरवाल के मोबाईल न0 [redacted] से वाटस्एप कॉल आ रहा हैं, जिस पर सत्यापन हेतु वार्ता रिकॉर्ड करना आवश्यक होने से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को लाउडस्पीकर पर वार्ता करने की हिदायत की गई। संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को 12,000 रूपये पत्थर वाले से बात करके उसको 12000 रूपये देने संबंधित वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई। फोन डिस्कनेक्ट होने पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर सुना गया तो उक्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होना पायी गई। जिसकी वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा पत्थर वाले से बात करने हेतु कहा गया है। वार्ता की आईन्दा स्वतंत्र

गवाहान के समक्ष फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार की जायेगी। अतः परिवादी को पुनः फौजदार के फोन के इन्तजार में कार्यालय में ही बैठे रहकर फोन आने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने की हिदायत की गई। समय 7.30 पीएम पर परिवादी द्वारा कार्यालय हाजा में मुकीम रहकर बीसीएमओ कार्यालय के कार्मिक फौजदार के फोन का इन्तजार किया जा रहा था परन्तु अब तक परिवादी के पास कार्मिक फौजदार का कोई फोन कॉल नहीं आया जिस पर परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को कहा गया कि मुझे घर पर जरूरी कार्य हैं इसलिए मुझे अभी जाना हैं, यदि बीसीएमओ आफिस से फौजदार का फोन मेरे पास आयेगा तो उससे मेरी जो बात होगी मैं आपको अवगत करवा दूंगा। फिलहाल मुझे जल्दी घर जाना हैं। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व बीसीएमओ कार्यालय से फौजदार का फोन आने पर स्वयं के फोन में रिकॉर्डिंग करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि दिनांक 06.07.2024 को राजौली व टोडा ठेकला के भवनो का उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात जब मैं बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन को दोनो भवन के हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए कहूंगा तो बीसीएमओं श्री पवन कुमार जैन मुझसे रिश्वत की मांग करेगा एवं बगैर रिश्वत दिये हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए संबंधित सीएचओ को फोन नहीं करेगा। जिस पर परिवादी को कानि0 रमजान के सम्पर्क में रहने की व गोपनीयता की हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 05.07.2024 को परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडिया ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल दिनांक 04.07.2024 को सांयकाल आपके कार्यालय से रवाना होकर जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मेरे पास बीसीएमओं कार्यालय से फौजदार का कॉल आया था जिसने मुझे उद्घाटन संबंधित टेंट, लड्डू कुर्सी आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा था जो वार्ता मैनंे मेरे मोबाईल में रिकॉर्ड कर ली थी जिस पर परिवादी को उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुरक्षित रखने व आईन्दा कार्यालय में उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत करने की हिदायत की गई । तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 06.07.2024 को समय करीब एक डेढ बजे उद्घाटन कार्यक्रम होना हैं। उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात जब मैं बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन को दोनो भवन के हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए कहूंगा तो बीसीएमओं श्री पवन कुमार जैन मुझसे रिश्वत की मांग करेगा एवं बगैर रिश्वत दिये हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए संबंधित सीएचओ को फोन नहीं करेगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई व श्री रमजान कानि0 को जरिये दूरभाष परिवादी से कल दिनांक 06.07.2024 को सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही करवायी जाकर जैसी सूरत हो की गई कार्यवाही से मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने की हिदायत की गई। चुंकि परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को यह अवगत करवाया हैं कि दिनांक 06.07.2024 को उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात जब मैं बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन को दोनो भवन के हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए कहूंगा तो बीसीएमओं श्री पवन कुमार जैन मुझसे रिश्वत की मांग करेगा एवं बगैर रिश्वत दिये हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए संबंधित सीएचओ को फोन नहीं करेगा। अतः दिनांक 06.07.2024 को मांग सत्यापन वार्ता में यदि संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत मांग किये जाने की पुष्टि होती है तथा यदि दिनांक 06.07.2024 को ही या 07.07.2024 को संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि लेकर बुलाया जाता हैं तो कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होगी व दिनांक 06.07.2024 व 07.07.2024 को कार्यालय अवकाश होने से स्वतंत्र गवाहान का उपलब्ध होना मुश्किल होगा। अतः ऐसे में स्वतंत्र गवाहान को आज ही पाबंद करवाया जाना आवश्यक होने पर दीगर राजकार्य में पूर्व से रवानाशुदा श्री पन्नालाल कानि0 09 को वाट्सएप कर गवाहान तलबी हेतु तहरीर प्रेषित कर गवाह पाबंद हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्तावित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान पाबंद करवायें गये। मन् पुलिस निरीक्षक दिनांक 06, 07.07.2024 को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार दीगर गोपनीय राजकार्य में व्यस्त रहने पर कानि0 श्री रमजान न0 466 को मेमौरी कार्ड लगा हुआ डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर हिदायत की गई कि आप परिवादी श्री इन्द्रसेन से सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही करवायंे एवं जैसी सूरत हो मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत करवायें। तत्पश्चात दिनांक 06.07.2024 को समय 7.00 पी. एम पर श्री रमजान कानि0 ने परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडिया के मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर वाट्सएप कॉल पर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं आज दिनांक 06.07.2024 को परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडियां से सम्पर्क कर समय करीब 1.30 पीएम. पर जयपुर से रवाना होकर समय 4.00 पीएम पर लालसोट पहुचंा जहां पर परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडियां मौजूद मिले जिसने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त हो चुका हैं, अब मैं बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन को दोनो भवन के हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए कहूंगा तो बीसीएमओं श्री पवन कुमार जैन मुझसे रिश्वत की मांग करेगा एवं बगैर रिश्वत दिये हैंड ऑवर टेकन ऑवर के लिए संबंधित सीएचओ को फोन नहीं करेगा। जिस पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू बन्द करना समझाया जाकर व डीवीआर को चालू करके समय 5.38 पी.एम. पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन से वार्ता करने हेतु रवाना किया था जो करीब 1 घन्टे पश्चात समय 6.34 पी.एम. पर परिवादी मेरे पास वापस आया व मुझ कानि0 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसको मैनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझ कानि0 को बताया कि बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन ने दोनो साइटों टोडा ठेकला व राजौली के भवनो के हैंड ऑवर टेकन ऑवर बाबत संबंधित सीएचओ को कहने लिये 13,000 रूपये की डिमांड की हैं। जिस पर श्री रमजान कानि0 के पास मौजूद परिवादी से वार्ता की गई तो परिवादी ने कानि0 रमजान के बताये गये तथ्यों को ताईद किया। परिवादी ने बताया कि बीसीएमओ ने उक्त रिश्वत राशि लेकर सोमवार

को बुलाया हैं। जिस पर परिवादी को उपरोक्तानुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सोमवार को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई व कानि0 रमजान को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखकर सोमवार दिनांक 08.07.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। श्री रमजान कानि0 उपस्थित कार्यालय आया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया व दिनांक 06.07.2024 को फोन पर हुई वार्ता के तथ्यों को दोहराया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो कानि0 रमजान व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टी होती हैं। परिवादी के रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर कार्यालय में उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 08.07.2024 को परिवादी श्री इन्द्रसेन द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि आज मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य के कारण मैं कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। मैं कल बीसीएमओं साहब का फोन आने पर भी उनसे आज उपस्थित नहीं आने के लिए ही कहूंगा तथा कल दिनांक 09.07.2024 को मैं आपके कार्यालय में रिश्वत राशि की व्यवस्था करके उपस्थित हो जाउंगा जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने व अबल वक्त कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई व अब तक के समस्त हालात से श्रीमान् अतिरक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा को निवेदन किये गये एंव निर्देशानुसार दिनांक 09.07.2024 को टे°प कार्यवाही प्रस्तावित होने से स्वतंत्र गवाहान श्री फाहद खान वरिष्ठ सहायक व श्री राहुल निर्वाण सहायक कर्मचारी को गोपनीय कार्यवाही हेतु उपस्थित आने बाबत पाबंद किया गया। दिनांक 09.07.2024 को परिवादी श्री इन्द्रसेन कार्यालय में उपस्थित आया, जिसको कार्यालय कक्ष में बैठाया गया, इसी दौरान स्वतंत्र गवाहान श्री फाहद खान व श्री राहुल निर्वाण व कार्यालय स्टॉफ उपस्थित आये। श्री फाहद खान व श्री राहुल निर्वाण को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने के प्रयोजन के बारे में बताकर उनका परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री इन्द्रसेन से करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमें रिकॉर्ड परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य दिनांक 06.07.2024 को रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी वार्ता, को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टै°प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये एवं उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडिया को दिनांक 04.07.2024 व 06.07.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडिया ने अपने पास से प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 26 नोट कुल राशि 13,000/-रूपये रिश्वत राशि के रूप में पेश किये जिस पर फर्द पेशकशी एवं प्रदर्शन एवं सुपुर्दगी नोट अलग से तैयार कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक, श्री कमलेश हैड कानि0 74, श्री सुभाष हैड कानि0 35, श्री रमजान अली कानि0 नं0 466, श्री विनोद कुमार कानि0 242, श्री कमलेश कानि0 293, श्री धर्मसिंह कानि0 249, श्री पन्नालाल कानि0 नं0 09, श्रीमती निधि महिला कानि0 86 मय परिवादी श्री इन्द्रसेन, स्वतंत्र गवाहान श्री फाहद खान व राहुल निर्वाण मय सरकारी 2 वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, कागज, ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना हुआ एवं रवानाषुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के लालसोट बाजार में मैन रोड़ पर पहुचं०ा। जंहा पर परिवादी ने बताया कि बीसीएमओ श्री पवन कुमार जैन राजकीय अस्पताल लालसोट में अपने कार्यालय में ही मिलेगा। जिस पर टे°प बाक्स में रखा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर कानि0 श्री रमजान को सुपुर्द किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व हमराहियान पैदल-पैदल राजकीय अस्पताल लालसोट की तरफ रवाना हुए तथा राजकीय अस्पताल के पास पहुंचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर या सिर पर हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें तथा आरोपी रिश्वत प्राप्त करने के बाद उक्त राशि को कहं०ा रखता हैं, पर नजर रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस कर कानि0 श्री रमजान अली से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करवाकर परिवादी को समय 11.55 ए.एम. पर सुपुर्द करवाया व परिवादी को संदिग्ध से वार्ता एवं रिश्वत लेन देन हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व कानि0 रमजान को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को यथा संभव देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आस-पास रहते हुये उस पर निगरानी रखते हुये परिवादी के इंशारे के इंतजार में मुकीम हुये। तत्पश्चात परिवादी संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय से निकलकर अस्पताल परिसर के बाहर की ओर रवाना हो गया जिस मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान भी परिवादी के पीछे-पीछे अस्पताल के बाहर रवाना हुए। अस्पताल से बाहर निकलकर रोड़ के साईड में परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर समय 12.41 पी.एम.

पर मन् पुलिस निरीक्षक ने सुपुर्द किया जिसे बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं बीसीएमओ के पास गया जंहा पर मेरी बीसीएमओ से वार्ता हुई तो बीसीएमओ ने मुझसे कहा है कि राजौली व टोडा ठेकला सी.एच.ओ से हेण्ड ऑवर टेकन ऑवर पर हस्ताक्षर करवा लाओं नहीं तो वो चले जायेगें, हस्ताक्षर करवाकर बीसीएमओ ने पुनः अपने कार्यालय में बुलाया हैं एवं परिवादी ने बताया कि मैं अब टोडा ठेकला व राजौली जाकर उक्त हेण्ड ऑवर टेकन ऑवर पर हस्ताक्षर करवाकर पुनः संदिग्ध अधिकारी के पास जाउंगा तो वह अवश्य ही रिश्वत राशी की मांग करेगा। तत्पश्चात कानि0 रमजान को परिवादी के◌े साथ मोटरसाइकिल से रवाना किया गया व मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के वापस आने के इन्तजार में बाजार में मुकीम हुए। कानि0 श्री रमजान ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि कि टोडा ठेकला व राजौली के सी.एच.ओ. से परिवादी के हेण्ड ऑवर टेकन ऑवर पर हस्ताक्षर हो गये हैं, इस दौरान कानि0 रमजान के फोन से परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं, रमजान जी के साथ मोटरसाईकिल से रवाना होकर टोडा ठेकला सी.एच.ओ. पिन्टू मीणा के पास गया व हेण्ड ऑवर टेकन ऑवर पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा तो सीएचओ पिन्टू मीणा ने अपने फोन से श्री फौजदार को फोन कर हस्ताक्षर करने हेतु पूछा जिस पर फौजदार द्वारा हस्ताक्षर करने की सहमति देने पर सीएचओ ने हेण्ड ऑवर टेकन ऑवर पर हस्ताक्षर कर दिये। तत्पश्चात रवाना होकर राजौली में सीएचओ श्री राकेश मीणा के पास पहुचं◌ा जहं◌ा पर श्री राकेश मीणा को हेण्ड ऑवर टेकन ऑवर पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा तो श्री राकेश मीणा ने अपने फोन से बीसीएमओ पवन कुमार जैन से हस्ताक्षर हेतु सहमति ली व तत्पश्चात हस्ताक्षर कर दिये हैं। तत्पश्चात परिवादी व कानि0 रमजान को लालसोट में मैन रोड़ पर स्थित पार्क में उपस्थित आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात कानि0 रमजान व परिवादी श्री इन्द्रसेन मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये व फोन पर बताये गये तथ्यों को ताईद किया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि दोनो सीएचओ से हस्ताक्षर होने◌े के पश्चात बीसीएमओ पवन कुमार जैन ने मुझे बुलाया हैं लेकिन बीसीएमओ अभी कार्यालय में मिलेगा या नहीं, इसकी पुष्टि हेतु बीसीएमओ को फोन करना उचित रहेगा। अतः परिवादी के बताये अनुसार परिवादी की संदिग्ध बीसीएमओ से वार्ता करवाये जाने हेतु कानि0 श्री रमजान से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को दिया गया जिस पर परिवादी द्वारा बीसीएमओ से वार्ता हुई तो बी.सी.एम.ओ ने वी.सी. में दौसा जाना बताया व बाद में बात करने हेतु कहा। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा। तत्पश्चात कुछ समय वहीं मुकीम रहकर संदिग्ध बीसीएमओ के फोन का इन्तजार किया। बीसीएमओ का कॉल परिवादी के पास नहीं आया हैं अतः संदिग्ध ने भी बाद में बात करने हेतु कहा हैं एवं गोपनीयता के मध्यनजर भी यहं◌ा अधिक समय तक रूकना उचित प्रतीत नहीं होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व परिवादी व वाहन सरकारी मय चालक मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर आदि साजो सामान के जयपुर रोड़ की तरफ रवाना होकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान दौसा बाईपास रोड के पास पहुचं◌ा जंहा पर वाहन को साईड में खडा करवाया गया व संदिग्ध के फोन का इन्तजार किया गया। इसी दौरान परिवादी श्री इन्द्रसेन ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि एईएन अजय जोरवाल के कहेअनुसार ही बीसीएमओ द्वारा उक्त रिश्वती राशि ली जा रही हैं, जब मैं एईएन अजय जोरवाल से वार्ता करूंगा तो वह अवश्य ही उक्त रिश्वती राशि अजय जोरवाल स्वयं ले सकता हैं। जिस पर वार्ता करवायी जानी आवश्यक होने पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी के फोन से अजय जोरवाल एईएन से वार्ता करवायी गई तो एईएन ने बीसीएमओ से वार्ता कर वापस रिप्लाई देने हेतु कहा। जिस पर परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर अपने पास रखा। चुंकि एईएन ने बीसीएमओ से वार्ता कर पुनः रिप्लाई देने बाबत कहा गया हैं इस पर एईएन के फोन के इन्तजार में मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मुकीम रहा । तत्पश्चात परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि एईएन अजय जोरवाल का मेरे मोबाईल पर फोन आ रहा हैं। अतः उक्त कॉल को रिकॉर्ड करने हेतु डी.वी.आर को चालू कर परिवादी को दिया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा एईएन के कॉल को रिसीव किया तो एईएन अजय जोरवाल ने अगले सप्ताह बात करने हेतु बताया हैं। तत्पश्चात परिवादी से डी.वी. आर प्राप्त कर बन्द कर उक्त रिकॉर्डिंग्स सेव होना सुनिश्चित कर अपने पास रखा। चुंकि संदिग्ध बीसीएमओ परिवादी से अचानक सम्पर्क कर रिश्वत प्राप्त कर सकता हैं इस सम्भावना में मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान परिवादी के फोन/सम्पर्क के इन्तजार के मुकीम रहे। चुंकि परिवादी के पास संदिग्ध का कोई फोन नहीं आया हैं, शाम होने को हैं एवं कार्यालय समय भी समाप्ति की ओर हैं। अतः परिवादी की बीसीएमओ व एईएन से हुई वार्ता के अनुसार संदिग्ध आज रिश्वत प्राप्त नहीं करेगा। अतः कानि0 धर्म सिंह को उसकी मोटरसाईकिल से मुख्यालय हेतु रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के जरिये वाहन सरकारी फोर्स ट्रैवलर बस व टवेरा कार से मय चालको के मय ट्रैप साम्रगी के रवाना होकर समय करीब 7.00 पीएम पर मुख्यालय पहुचां एवं कार्यालय में उपस्थित श्री हिम्मत सिंह कानि0 से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की पहनी हुई पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशि 13,000 रूपये को निकलवाकर राशि का फर्द सुपुर्दगी से मिलान करवाया जाकर सुरक्षित आलमारी में रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि जब भी संदिग्ध अधिकारी रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु आपसे सम्पर्क करें या संदिग्ध का कोई फोन कॉल आये तो अविलम्ब मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवायें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जाब्ते को मामले

में पूर्ण गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.07.2024 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री इन्द्रसेन से जरिये वाट्सएप कॉल वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि अभी तक मेरे पास बीसीएमओ व एईएन का कोई कॉल नहीं आया हैं व अभी तक मेरे फाईनल बिल भी तैयार नहीं किये हैं, जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारीगण के इस संबध में कॉल या मैसेज आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अविलम्ब अवगत करवाने की हिदायत की गई। दिनांक 14.08.2024 को परिवादी श्री इन्द्रसेन उपस्थित कार्यालय आया व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज दिनांक 14.08.2024 को मैं मेरे किसी निजी कार्य से दौसा गया था। मेरे निजी काम से फ्री होकर मैं एईएन साहब अजय जोरवाल जी के पास गया था तो अजय जोरवाल जी ने मुझे बिल तैयार करने के नाम पर बिल तैयार करने वाले प्राईवेट व्यक्ति रामोतार को 8,000 रूपये देने के लिए तथा जब प्राईवेट व्यक्ति रामोतार बिल तैयार करके फोन करे जब अपने कार्यालय में 8000 रूपये लेकर बुलाया हैं। जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि आप आइन्दा बिलो के संबंध में वार्ता करने के लिए जाये तो मन् पुलिस निरीक्षक को आवश्यक रूप से सूचित करें ताकि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की जा सके। तत्पश्चात परिवादी को प्राईवेट व्यक्ति रामोतार का फोन आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने व गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 10.09.2024 को समय 2.00 पी.एम. पर परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडियां उपस्थित कार्यालय आया व उसने बताया कि कल दिनांक 09.09.2024 को मेरी श्री अजय जोरवाल एईएन से जरिये दूरभाष हुई वार्ता थी, तो एईएन साहब ने मुझे आज दिनांक 10.09.2024 को बिलो के संबंध में वार्ता करने हेतु बुलाया हैं। अतः आज जब मैं एईएन साहब से अपने बिलो के संबंध में बात करने के लिए जाउंगा तब एईएन साहब अवश्य ही मुझसे मेरे बिलो एवज में कमीशन पेटे स्वयं के लिए, बिल बनाने के नाम पर प्राईवेट व्यक्ति रामोतार के लिए रिश्वत राशि की मांग करेगंे तथा बीसीएमओ द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि को देने हेतु वार्ता कर सकते हैं, परन्तु एईएन साहब ने मुझे कार्यालय में आने से पूर्व फोन पर बात करके आने के लिए कहा था। अतः एईएन साहब के कार्यालय में जाने से पहले जरिये दूरभाष वार्ता करनी आवश्यक हैं। जिस पर वार्ता को रिकॉर्ड करना आवश्यक होने पर कानि0 श्री रमजान न0 466 को कार्यालय कक्ष में बुलाया एवं कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया खाली मेमौरी कार्ड 32 जीबी. किंगस्टन कम्पनी को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगाया गया व परिवादी को उक्त रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस की गई। तत्पश्चात समय 2.14 पीएम, 217 पी.एम., 222 पी.एम., 223 पी.एम, 236 पी.एम. व 243 पी.एम पर परिवादी द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted]2 से संदिग्ध श्री अजय जोरवाल एईएन दौसा के मोबाईल न0 [redacted]8 पर व श्री संजय एक्सईएन अलवर के मोबाईन न0 9414427798 पर जरिये दूरभाष वार्ता की गई तथा की गई वार्ता को डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 3.50 पी.एम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास श्री अजय जोरवाल एईएन साहब का फोन आया था जिन्हौनें मुझे मेरे बिलो के संबंध में वार्ता करने के लिए दौसा कार्यालय में बुलाया हैं। अतः यदि मैं दौसा कार्यालय में मेरे बिलो के संबध में वार्ता करने के लिए जाउंगा तो अवश्य ही एईएन साहब मुझसे मेरे बिलो की एवज में रिश्वत राशि की मांग करेंगे। जिस पर कानि0 रमजान कानि0 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु हिदायत कर परिवादी के साथ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 8.15 पी.एम पर कानि0 श्री रमजान व परिवादी इन्द्रसेन कार्यालय में उपस्थित आये व कानि0 रमजान ने डीवीआर सुपुर्द कर अवगत करवाया कि संदिग्ध श्री अजय जोरवाल के कार्यालय के बाहर आस पास पहुचंकर मन् कानि. द्वारा परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि पुनः समझाई जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू परिवादी को समय 5.20 पी.एम. पर सुपुर्द कर संदिग्ध के कार्यालय में वार्ता हेतु रवाना हुआ था, तथा मैं परिवादी के वापस आने के इन्तजार में कार्यालय के आस पास ही मुकीम हुआ। तत्पश्चात करीब 7.00 पी.एम. बाद परिवादी मुझ कानि0 के समक्ष उपस्थित होकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द कर अपने पास रखकर सुरक्षित लेकर आया हूं। उपस्थित परिवादी श्री इन्द्रसेन ने बताया कि मेरी सदिग्ध अजय जोरवाल व उनके प्राईवेट सहायक रामवतार जी से मेरे बिलो के संबंध में वार्ता हुई तो एईएन साहब ने रामवतार को बिल तैयार करने के नाम पर 8000 रू रिश्वत राशि देने हेतु पुनः कहा है, व बीसीएमओ द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के संबंध में मना कर दिया हैं। व प्राईवेट व्यक्ति रामवतार ने बिल तैयार करके फोन करने पर रिश्वत राशि लेकर के बुलाया हैं। मेरी व एईएन व रामवतार के मध्य हुई वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। जिस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु डिजीटल रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की डिवीआर में रिकॉर्डिंग होना पायी गई। डिवीआर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। परिवादी को आईन्दा एईएन कार्यालय दौसा से फोन आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 8.35 पीएम पर परिवादी श्री इन्द्रसेन ने बताया कि पूर्व में बीसीएमओ द्वारा 13,000 रूपये की रिश्वत की मांग की गई थी जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में 13,000 रूपये की राशि ब्यूरो को उपलब्ध करवायी गई थी। चुंकि उक्त राशि बीसीएमओ श्री पवन जैन द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी, जो आईन्दा अचानक मांगने की सूरत में ब्यूरो द्वारा सुरक्षित रखवायी गई है एवं परिवादी ने यह भी बताया कि बीसीएमओ स्तर पर मेरा अब कोई कार्य पेण्डिंग नहीं हैं ना ही अभी तक बीसीएमओ ने मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया हैं। इसलिए अब बीसीएमओ द्वारा रिश्वत प्राप्त करने की

सम्भावना नहीं हैं। आदि तथ्य बताते हुए परिवादी ने अपनी निजी आवश्यकता हेतु उक्त सुरक्षित रखी हुई राशि 13,000 रूपये को वापस लौटाने हेतु स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक के नाम आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठांकन करते हुए मुझे सुपुर्द किया जिस पर परिवादी की आवश्यकतानुसार उक्त राशि 13,000 रूपये परिवादी को लौटाते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्रसेन को बाद हिदायत कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 30.09.2024 को समय 10.55 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री इन्द्रसेन से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि एईएन अजय जोरवाल से मेरी फोन पर वार्ता हुई थी उनके माता पिता बीमार हैं वे अभी अवकाश पर हैं, इसलिए मुझे अभी तक मेरे बिल नहीं मिले हैं। एईएन साहब ने दो चार दिन का नाम ले रहे हैं। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 04.10.2024 को परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये टेलीफोन बताया कि मैं आज मेरे बिलो के संबंध में वार्ता करने के लिए एईएन ऑफिस दौसा में जाउंगा तो श्री अजय जोरवाल एईएन दौसा अवश्य ही मुझे बिल तैयार करने के नाम पर अपने प्राईवेट सहायक रामवतार को रिश्वत राशि 8,000 रूपये देने के लिए पुनः कहेंगे जिस पर कानि0 रमाजान को मेमोरी कार्ड लगा हुआ डीवीआर देकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवानें हेतु हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 6.00 पी.एम पर परिवादी श्री इन्द्रसेन व कानि0 रमजान उपस्थित कार्यालय आये व कानि0 रमजान ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया व बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी इन्द्रसेन जयपुर से रवाना होकर एईएन कार्यालय दौसा के पास पहुचें जंहा पर परिवादी को वार्ता हेतु डिवीआर चालू कर समय 1.12 पीएम पर सपुर्द कर एईएन कार्यालय में रवाना किया गया जो करीब 8-10 मिनट बाद परिवादी कार्यालय से बाहर का डिवीआर मुझे सुपुर्द किया जिस मैंनें बन्द कर अपने पास रखा एवं परिवादी ने मुझे बताया कि एईएन साहब कार्यालय में नहीं हैं, मालूमात किया गया तो वे फिल्ड में जाना एवं कुछ देर बाद कार्यालय में आना ज्ञात हुआ हैं जिस पर एईएन साहब के कार्यालय में आने के इन्तजार में एईएन कार्यालय के आस पास ही मुकीम हुए। तत्पश्चात समय 1.59 पी.एम. पर परिवादी ने मुझे बताया कि एईएन साहब कार्यालय में आ गये जिस पर मेरे द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्ड चालू कर वार्ता रिकार्ड हेतु परिवादी को सुपुर्द कर एईएन कार्यालय में रवाना किया गया व मैं आस पास की मुकीम हुआ। समय करीब 4.00 पी.एम पर परिवादी एईएन कार्यालय से बाहर आया व वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित लेकर परिवादी के साथ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया हूं। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्रसेन ने बताया कि मैं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर वार्ता हेतु संदिग्ध श्री अजय जोरवाल के कार्यालय में गया तो वहां पर प्राईवेट व्यक्ति श्री रामोतार, जिसने मेरे बिल तैयार किये थे, भी उपस्थित था। वार्ता के दौरान एईएन अजय जोरवाल ने मुझे मेरे बिल बनाने की एवज में 8000 रूपये प्राईवेट व्यक्ति को देने हेतु कहां, जिस पर मैनें मेरे पास रखे 6,000 रूपये ही देने की कोशिश की तो एईएन अजय जोरवाल ने पूरे 8000 रूपये ही करने को कहा जिस पर मैनें 8000 रूपये उक्त प्राईवेट व्यक्ति को रिश्वत स्वरूप दे दिये जिस पर उन्हौनें मुझे मेरे दो बिल तैयार कर मुझे दे दिये और कहा कि आप इनको अग्रिम कार्यवाही हेतु ए.ए.ओ. व एक्सईएन को दे देना एवं परिवादी से स्वयं के स्तर पर 8000 रूपये देने बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि उक्त 8,000 रूपये मैं नहीं देता तो एईएन साहब व उनका प्राईवेट सहायक रामोतार मुझे मेरे तैयारशुदा बिल नहीं देते, इसलिए मैनें स्वैच्छा से 8 हजार रूपये रामोतार प्राईवेट सहायक को दे दिये जिस पर उन्हौनें मुझे दो बिल तैयार कर दे दिये हैं, उक्त बिलो को मैं एक्सईएन अलवर के पास भुगतान हेतु लेकर जांउंगा तोएक्सईएन साहब अलवर एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी भी मुझसे रिश्वत की मांग करेगें। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप की सहायता से चलाकर उक्त वाईस रिकॉर्डिंग को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्य डिवीआर में रिकॉर्ड होना पाये गये, जिसकी आइन्दा ट्रास्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के अनुसार परिवादी को हिदायत की गई कि आप जब भी एक्सईएन अलवर कार्यालय में अपने बिलो के संबध में वार्ता हेतु जाये तो मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत कर परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 07.10.2024 को समय 12.00 पी.एम पर परिवादी श्री इन्द्रसेन उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मेरे पास एक्सईएन कार्यालय अलवर में कार्यरत एएओ सीताराम जी का फोन आया है, जिन्होंने स्वयं और एक्सईएन साहब अलवर के जयपुर शिक्षा संकुल में होना बताया हैं तथा मुझे मेरे बिल लेकर के शिक्षा संकुल कार्यालय ही बुलाया हैं। मैं उनको बिल देने जाउंगा तो अवश्य ही मेरे बिल पास करने की एवज में कमीशन/रिश्वत की मांग करेगें। जिस पर कार्यालय में उपस्थित कानि0 रमजान को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा हुआ डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें प्रकरण से संबंधित पूर्व वार्ता रिकॉर्ड हेतु काम में लिए गये मेमौरी कार्ड का लगा होना सुनिश्चित किया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कानि0 रमजान को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि जब भी परिवादी बिल देने हेतु संदिग्ध अधिकारीगण के पास जाये तब रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द कर मांग सम्बंधित वार्ता रिकॉर्ड किया जाना सुनिश्चत करें। तत्पश्चात कानि0 रमजान को परिवादी के साथ समय 12.30 पी.एम. पर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 2.45 पी.एम पर कानि0 रमजान व परिवादी श्री इन्द्रसेन उपस्थित कार्यालय आये व कानि0 रमजान ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं परिवादी के साथ कार्यालय से रवाना

होकर शिक्षा संकुल पहुचै जंहा पर समय करीब 1.07 पी.एम. पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत कर वार्ता करने हेतु रवाना किया गया जो समय करीब 1.45 पी.एम. पर मन् कानि0 के पास वापस आया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् कानि0 को सुपुर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित लेकर आया हूं। जिस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर कार्यालय के अन्दर जाकर एएओ श्री सीताराम से मिला व एएओ को मेरे बिल पेश कर दिये जिस पर एएओ ने बिल अपने पास रख लिये व मुझे कहा कि चैक करने के बाद में मैं फोन कर दूंगा तो आप अपने हस्ताक्षर करने के लिए अलवर कार्यालय में आ जाना, परिवादी ने बताया कि कार्यालय में काफी लोग और भी थे संभवतः इसी कारण एएओ ने मुझसे रिश्वत राशि/कमीशन की डिमांड नहीं करी, अब जब मैं हस्ताक्षर करने अलवर कार्यालय में जाउंगा तब एएओ व एक्सईएन अवश्य ही मुझसे अपने कमीशन पेटे रिश्वत राशि की मांग करेंगे जिस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की की रिकॉडिंग होना पाया गया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को अलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि जब भी ए.ए.ओ. हस्ताक्षर करने के लिए अलवर बुलाये तब मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें आदि हिदायत कर परिवादी को कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 21.10.2024 को समय 3.13 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक मेरे पास अलवर कार्यालय से एएओ का फोन नहीं आया हैं। जिस पर परिवादी को पुनः हिदायत की गई कि जब भी आपके पास अलवर कार्यालय से फोन आये तो आप मन् पुलिस निरीक्षक को अवश्य सूचित करें। दिनांक 06.11.2024 को समय 5.08 पी.एम पर परिवादी श्री इन्द्रसेन ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि एएओ ने मुझे 24 लाख रूपये का भुगतान कर दिया हैं। शेष भुगतान के लिए कार्यालय बाबू जयनारायण शर्मा ने मुझे कल दिनांक 07.11.2024 को अलवर कार्यालय में बुलाया हैं, मैं जब अलवर कार्यालय जाउंगा तो संबंधित बाबू या एएओ सीताराम मुझसे किये गये भुगतान व शेष भुगतान की एवज में कमीशन की मांग करेंगे, जिस पर परिवादी को दिनांक 07.11.2024 को सुबह कार्यालय आने की हिदायत की गई। जिस पर दिनांक 07.11.2024 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री इन्द्रसेन ब्यूरो कार्यालय आया व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आज अलवर कार्यालय में बुलाया है, जहा पर संबंधित बाबू जयनायण शर्मा व एएओ सीताराम जी मुझे मेरे पूर्व में किये गये भुगतान व शेष भुगतान की एवज में कमीशन/रिश्वत की मांग करेंगे जिस पर कार्यालय की अलमारी में रखा प्रकरण में पूर्व में काम में लिया गया मेमोरी कार्ड लगा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को अलमारी से निकालकर कानिस्टेबल रमजान को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि जब परिवादी अपने भुगतान के संबंध में वार्ता करने संदिग्ध बाबू या एएओ के पास जाये तब रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द कर मांग सम्बंधित वार्ता रिकॉर्ड किया जाना सुनिश्चत करें। तत्पश्चात कानि0 रमजान को परिवादी के साथ समय 10.20 ए.एम. पर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 8.30 पी.एम पर कानि0 श्री रमजान व परिवादी उपस्थित कार्यालय आये व कानि0 रमजाने ने डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया व बताया मैं व परिवादी श्री इन्द्रसेन जयपुर से रवाना होकर अलवर स्थित एक्सईएन के कार्यालय के बाहर पहुचै जंहा पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस की जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को समय 2.53 पीएम पर चालू कर संदिग्धो से वार्ता करने हेतु रवाना किया गया था तथा मन् कानि0 परिवादी के आने के इन्तजार में एक्सईएन कार्यालय के बाहर रोड पर मुकीम रहा। तत्पश्चात करीब तीन घण्टे के बाद परिवादी मेरे पास आया व वाईस रिकॉर्डर मुझ कानि0 को सुपुर्द किया जिसे मैनें बन्द किया। परिवादी ने बताया कि कार्यालय में भीडभाड है इसलिए मेरी सम्पूर्ण वार्ता नहीं हो पायी जिस पर कुछ समय पश्चात समय 4.53 पर पुनः परिवादी को डीवीआर चालू कर संदिग्धो से वार्ता हेतु रवाना किया गया जिस पर करीब एक घन्टे पश्चात परिवादी ने कार्यालय से बाहर आकर डीवीआर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैनें अपने पास रखकर सुरक्षित लेकर आया हूं। उपस्थित परिवादी ने कानि द्वारा बताये गये तथ्यों कि ताईद करते हुए बताया कि मेरी एक्सईएन कार्यालय अलवर में पदस्थापित एएओ सीताराम व बाबू जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक से बिलो के संबंध में वार्ता हुई है। वार्ता के दौरान बाबू जयनारायण शर्मा ने स्वंय, एएओ सीताराम जी व अन्य बाबू रमेश तथा चीफ साहब के लिए मेरे पूर्व में किये गये भुगतान की एवज में बतौर कमीशन 53,000 हजार रूपये की मांग करके 50,000 रूपये लेने हेतु सहमत हुए है तथा एक्सईएन साहब को मेरे 24.90 लाख रूपये के भुगतान के तीन प्रतिशत के हिसाब से करीब 73,000 रूपये की डिमांड करके मेरे कम करने के निवेदन करने पर 70,000 एक्सईएन साहब को देने के लिए कहा हैं। मौके पर उपस्थित एएओ सीताराम ने मुझे कहा कि "कुछ लाये हो क्या" तो मैनें कहा क्या लाये आदेश करों, जिस पर एएओ साहब ने मुझे कहा कि " यार खाते में पैसे आये है तो आपको पता नहीं कहा से आये हैं" तब मैनें कहा कि वो तो कर देंगे साहब, तो एएओ सीताराम जी ने कहा "ऐसे नहीं होता हैं, बाद में क्या होता हैं, अहसानदारी तो गई ऐसी तेसी में और बातो को घुमा रहे हो बिना मतलब में" आदि बाते कहते हुए मेरे द्वारा उनको बतौर कमीशन रिश्वत राशि नहीं देने के कारण नाराजगी जाहिर की, जिस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हेतु डिवीआर को चलाकर सरसरी तौर पर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की डिवीआर में रिकॉर्डिंग होना पाया गया। जिसपर डिवीआर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। परिवादी ने बताया कि बाबू जयनारायण शर्मा ने मुझे पैसे की व्यवस्था कर फोन पर बात कर आने के

लिए कहा हैं। समस्त हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौकी प्रभारी को निवेदन किये गये एवं निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था उपस्थित कार्यालय आने एवं गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 11.11.2024 को प्रकरण में पूर्व में हुई मांग सत्यापन वार्ता की फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार करने हेतु गोपनीयता के मध्यनजर कार्यवाही में पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान फाहद खान व श्री राहुल निर्वाण को दिनांक 12.11.2024 को तलब करने हेतु पत्र जारी किया गया व परिवादी को भी जरिये दूरभाष दिनांक 12.11.2024 को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु हिदायत की गई। जिस पर दिनांक 12.11.2024 को समय 2.30 पी.एम पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनके समक्ष परिवादी व संदिग्ध श्री पवन जैन बीसीएमओ लालसोट जिला दौसा व एईएन दौसा श्री अजय जोरवाल के मध्य दिनांक 04.07.2024, 06.07.2024, व 09.07.2024 को हुई वार्ता में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगाकर विभागीय लेपटॉप से जोडकर रिकॉर्डेड वार्ताओ को लाउडस्पीकर से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उक्त रिकॉर्डेड वार्ताओ का वार्ता रूपान्तरण प्रारम्भ किया जाकर समय 7.00 पीएम तक वार्तारूपान्तरण तैयार किया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मुझे घर पर जरूरी कार्य हैं इसलिए मुझे जाना हैं। इसलिए शेष वार्ता रूपान्तरण आईन्दा की जावेगी। जिस पर रिकॉर्डिंग में प्रयुक्त मेमौरी कार्ड लगे डीवीआर को लेपटॉप से निकाल कर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा तथा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 13.11.2024 को समय 10.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 13.11.2024 को समय 10.00 ए.एम पर पाबंदशुदा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनके समक्ष परिवादी व संदिग्ध श्री पवन जैन बीसीएमओ लालसोट जिला दौसा व एईएन दौसा श्री अजय जोरवाल के मध्य दिनांक 04.07.2024, 06.07.2024, व 09.07.2024 को हुई वार्ता में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगाकर विभागीय लेपटॉप से जोडकर रिकॉर्डेड वार्ताओ को लाउडस्पीकर से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर शेष रिकॉर्डेड वार्ताओ का वार्ता रूपान्तरण प्रारम्भ किया जाकर समय 7.00 पी.एम तक वार्ता रूपान्तरण किया गया तथा उक्त वार्ताओं की वॉयस क्लिपों को पांच खाली सी.डी.आर. में बारी-बारी से डाउनलोड किया गया। सभी सी.डी.आर. को पुनः कम्प्यूटर/लेपटॉप पर चलाया जाकर सुना गया तो उसमें उपरोक्त वार्ताऐं दर्ज होना पाया गया। चार सी.डी.आर. को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में सीलकर सीलमोहर कर मार्क'A-1 (न्यायालय प्रति)' ' A -2' (अभियोजन प्रति), एवं मार्क ' A -3' ' A -4' आरोपी पक्ष हेतु अंकित किया गया एवं पांचवी सी. डी. A -5' को अनुसंधान अधिकारी हेतु हेतु खुला रखा जाकर सभी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर मेमौरी कार्ड को सफेद कागज में लपेटकर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी पर टेप चिपकाकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर मार्क 'SD' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। एवं फर्द वार्ता रूपान्तरण, बर्न सीडी एवं जब्ती मेमौरी कार्ड पृथक से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। जब्तशुदा आर्टिकल्स को गोपनीयता के मध्यनजर कार्यालय अलमारी में ही सुरक्षित रखा गया जिनको बाद कार्यवाही जमा मालखाना करवाया जायेगा। तत्पश्चात समय 7.30 पी.एम पर उपस्थित परिवादी श्री इन्द्रसेन ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी एक्सईएन कार्यालय अलवर के प्राईवेट सहायक श्री जयनारायण शर्मा से जरिये दूरभाष वार्ता हुई है, जिसने मुझे पूर्व में हुई मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 14.11.2024 को बुलाया हैं आदि हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौकी प्रभारी को अवगत करवाये गये। निर्देशानुसार कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री फाहद खान एवं श्री राहुल निर्वाण को दिनांक 09.07.2024 के पश्चात हुई विभिन्न मांग सत्यापन वार्ताओ एवं दिनांक 07.11.2024 को हुई मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर पर सुनाया गया जिस पर स्वतंत्र गवाहान द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्रदान की, जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 14.11.2024 को समय 7.30 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु हिदायत कर रूखसत किया गया एवं परिवादी को कल दिनांक 14.11.2024 को प्रातः 7.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने एवं गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। कार्यालय स्टॉफ को भी नियत समय पर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 14.11.2024 को समय 8.00 ए.एम पर परिवादी श्री इन्द्रसेन व स्वतंत्र गवाहान व स्टॉफ उपस्थित कार्यालय आय एवं रूबरू मौतबीरान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडिया को दिनांक 07.11.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडिया ने बताया कि दोनो संदिग्ध अधिकारी मुझसे बिल की राशि के बतौर कमीशन के हिसाब से पृथक पृथक रिश्वती राशि प्राप्त करेंगे, जिसमें संदिग्ध अधिशाषी अधिकारी अपने कमीशन के तौर पर 70,000 रूपये और ए.ए.ओ. व बाबू अपने तथा अन्य के कमीशन के तौर पर 50,000 रूपये प्राप्त करेगा। जिस पर परिवादी ने अपने पास से सदिग्ध अधिकारियों को देने हेतु प्रचलित भारतीय मुद्रा की राशि 50,000 (500-500 रूपये के नोटों की एक गड्डी) 70,000 (500-500 रूपये के 100 नोटों तथा 200-200 के 100 नोटो कुल राशि 70,000 रूपये की एक गड्डी) रूपये, कुल राशि 1,20,000 रूपये रिश्वत राशि के रूप में दो नोटों की गड्डिया पेश की जिसकी फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनाफ्थलीन

पाउडर एवं सोडीयम कार्बोनेट व सुपुर्दगी नोट अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यालय की अलमारी में रखा डीवीआर ट्रेप बाक्स में रखा गया। तत्पश्चात समय 10.30 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रघुवीरशरण शर्मा पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान फाहद खान व राहुल निर्वाण, मय श्री सुभाष हैड कानि0 न0 35, श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री विनोद कानि0 न0 242, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री जीतराम कानि0 204, श्री योगेश कानि0 202, मय परिवादी श्री इन्द्रसेन के मय चालक श्री कमलेश कानि0, चालक श्री सरजीत मय वाहन सरकारी फोर्स टे°वलर व बोलेरो से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर नंगली सर्किल अलवर पहुचै, गाड़ी साईड में खड़ी करवाई गई। तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारियों की कार्यालय में उपस्थिति के संबध्ं में मालुमात किया गया तो संदिग्ध अधिकारीगण कार्यालय में ही मौजूद हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यवाही में रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित हैं को श्री रमजान अली कानि. से बाहर निकलवाकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई गई तथा संदिग्धो द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक अथवा श्री रमजान अली कानि. के मोबाईल पर गोपनीय इशारा करने की हिदायत कर श्री रमजान कानि0 से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत लेन देन वार्ता हेतु समय 02.48 पीएम पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में रवाना किया गया जिसकी फर्द सुपुर्दगी डीवीआर पृथक से मुर्तिब की गई तथा कानि0 श्री रमजान, श्री पन्नालाल तथा स्वतंत्र गवाह श्री फाहद खान व राहुल निर्वाण को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई तथा मन् पुलिस निरीक्षक व जाब्ता भी परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में कार्यालय अधिशाषी अभियंता कार्यालय के आस पास ही मुकीम हुए। तत्पश्चात समय 5.19 पी.एम पर परिवादी श्री इन्द्रसेन कुलडियां ने कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलवर से बाहर निकल कर हमराहियान कानिस्टेबल श्री रमजान अली को मोबाईल फोन पर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान व जाब्ते के कार्यालय अधीशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जिला- अलवर के कार्यालय में पहुंचे जंहा पर उक्त कार्यालय के गेट के सामने परिवादी उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया। तत्पश्चात परिवादी को साथ लेकर हमराहियान के साथ कार्यालय अधीशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलवर में मुख्य दरवाजे से अन्दर प्रवेश किया तो दरवाजे से लगते हुए कमरे में बाई तरफ कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही सीताराम एएओ हैं तथा उनके सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह जयनारायण शर्मा हैं तथा कमरे के दाहिनी तरफ के कार्यालय की तरफ ईशारा कर बताया कि इसमें जगन लाल जी अधिशाषी अभियंता बैठे हैं, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आमने सामने कुर्सीयों पर बैठे व्यक्तियों को अपना व हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम सीताराम पुत्र श्री पलटूराम उम्र 55 साल निवासी सी-59, सूर्यनगर, पुलिस थाना वैषालीनगर जिला अलवर हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधिषाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर तथा सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्री जयनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद शर्मा उम्र 68 साल निवासी ग्राम महाराज पुरा पोस्ट बारा भडकोल तहसील मालाखेडा अलवर हाल तिजारा फाटक, अलवर हाल अस्थाई प्राईवेट सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त दोनो को कुर्सी पर हमराहियान जाब्ते की निगरानी में ज्यों के त्यों बैठे रहने की हिदायत कर दाहिनी तरफ के दरवाजे से अधिशाषी अभियंता के कार्यालय कक्ष में स्वतंत्र गवाहान के साथ प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही कक्ष में बने केबिन में दरवाजे के बाई तरफ लगे कम्प्यूटरों पर तीन व्यक्ति बैठे मिले जिस पर परिवादी द्वारा उक्त तीनो व्यक्तियों में बीच में बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह अधिशाषी अभियंता जगनलाल मीणा हैं जिन्होनें मेरे से बिलो के भुगतान करने की एवज में बतौर कमीशन 50,000 रूपये अपनी टेबल के ड्रावर में रखवाकर प्राप्त किये हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री जगनलाल मीणा पुत्र स्व. श्री किशोरीलाल, उम्र- 52 साल, निवासी- ए-1, नर्सिंग वाटिका, जगतपुरा पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर ईस्ट आयुक्तालय जयपुर हाल- अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला अलवर होना बताया। तत्पचात् संदिग्ध श्री जगन लाल मीणा को अपने कार्यालय कक्ष में आने हेतु कहा गया तथा हमराहियान श्री रमजान अली कानि0 तथा विनोद कानि0 को संदिग्ध की निगरानी की हिदायत कर संदिग्ध को अपनी सीट पर बैठे रहने की हिदायत की गई। तत्पष्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान एवं शेष सदस्यों के साथ वापस पहले कमरे में आकर संदिग्ध श्री सीताराम, सहायक लेखाधिकारी तथा श्री जयनारायण शर्मा से परिवादी की तरफ इषारा कर परिवादी से अभी-अभी ली गई रिष्वत राषि के सम्बंध में पूछा तो श्री जयनारायण शर्मा ने अपनी पहनी हुई पेंट की जेब से 500-500 रूपये की एक गड्डी निकालकर अपने सामने की टेबल पर रख दिये। उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री राहुल से उठवाकर उक्त नोटों को गिनवाने पर कुल 50,000/- रूपये होना बताया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये।

आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के कब्जे से बरामद उक्त रिष्वत राषि 50,000/- रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री राहुल के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पष्चात् मन् निरीक्षक पुलिस संदिग्ध आरोपी श्री जयनारायण शर्मा तथा श्री सीताराम की निगरानी हेतु हमराहियान जाब्ते को हिदायत कर अधिषाषी अधिकारी के कार्यालय कक्ष में आया, जहां पर परिवादी की तरफ ईशारा कर संदिग्ध श्री जगनलाल मीणा, अधिषाषी अधिकारी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे कोई रिश्वती राशि ली हैं तो उक्त ने घबराकर परिवादी से किसी भी प्रकार की राशि लेने से इनकार किया। जिस पर परिवादी ने बताया कि यह झूंठ बोल रहे हैं, अभी थोडी देर पहले यह अपने कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे थे तब इन्होने मुझसे मेरे काम के संबंध में वार्ता कर बतौर कमीशन 50,000 रूपये की रिश्वती राशि अपने कार्यालय की टेबल के ड्रावर में रखवाई हैं। जिस पर श्री जगनलाल मीणा को पुनः रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो उन्होने परिवादी की ओर देखकर बताया कि लालसोट एरिया से अभी ये आया था, जो अपने काम के संबंध में मेरे से वार्ता कर रहा था, मैं मेरे काम से कम्प्यूटर की तरफ चला गया, मेरे पीछे से यह मेरे ड्रावर की तरफ आया था, मुझे कुछ जानकारी नहीं हैं। जिस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिए संदिग्ध श्री जगनलाल मीणा को हमराहियान के साथ उनके कार्यालय कक्ष में लेकर आये, जहां पर परिवादी ने उक्त कक्ष में संदिग्ध अधिकारी की टेबल के बांयी ओर के उपर के ड्रॉवर की ओर ईशारा कर बताया कि अभी मैंने इनसे मेरे काम के सम्बंध में वार्ता की तो इन्होंने मेरे बिलों की राशि का भुगतान कराने की एवज में बतौर कमीशन रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि अपने इस ड्रावर में रखने के लिये कहा, जिस पर मैंने इनके कहे अनुसार रिश्वत राशि इनके ड्रावर में रखे कागजों के उपर रख दी थी, तब यह उठकर कम्प्यूटर के केबिन में चले गये। जिस पर श्री जगन लाल मीणा ने अपनी टेबल के ड्रावर से सारे कागजात एक साथ निकालकर अपनी टेबल पर प्रस्तुत कर कहा कि नहीं इनमें कुछ नहीं है। तत्पष्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये स्वतंत्र गवाहान से संदिग्ध अधिकारी की टेबल के ड्रॉवर की तलाशी लिवाई गई परन्तु उक्त ड्रॉवर से कोई रिश्वत राशि नहीं मिली। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने पुनः संदिग्ध श्री जगन लाल मीणा से परिवादी से रखवाई गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है यह इधर मेरी टेबल की तरफ आये थे मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस एवं हमराहियान जाब्ते ने संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय कक्ष में रखे अन्य टेबल, आलमारियों में तलाषी ली तब तलाषी के दौरान श्री रमजान कानि0 466 को संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने उक्त ड्रावर से निकालकर अपनी टेबल पर रखे कागजों के बीच में 500-500 रूपये के नोटों का एक बण्डल बरामद हुआ, जिसके बारे में पूछने पर संदिग्ध अधिकारी ने बताया कि यह कागजात मेरे ड्रावर के ही है तथा मेरे कार्यालय के ही है परन्तु इन पैसों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री जगन लाल मीणा के कहने पर मैनें इनके ड्रॉवर में रखे कागजों के उपर ही रिश्वत राशि रखी थी इन कागजों के अन्दर मैंने नहीं रखी यह इन्होंने ही रखी है। तत्पष्चात् आरोपी श्री जगन लाल मीणा, अधिषाषी अधिकारी के कार्यालय कक्ष के ड्रॉवर के कागजों से बरामद रिश्वत राषि 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी को स्वतंत्र गवाह श्री फाहद खान से उठवाकर उक्त नोटों को गिनवाने पर कुल 50,000/- रूपये होना बताया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये। आरोपी श्री जगन लाल मीणा, अधिषाषी अधिकारी के कार्यालय कक्ष के ड्रॉवर के कागजों से बरामद रिश्वत राशि 50,000/- रू0 को गवाह श्री फाहद खान को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मांगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री जगन लाल मीणा, अधिषाषी अधिकारी के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गदमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री जगन लाल मीणा, अधिषाषी अधिकारी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गदमेला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पष्चात् कानि. श्री विनोद कुमार से दोनों कांच के गिलासों को ट्रेप बॉक्स में रखे साबून से धुलवाकर अच्छी तरह से साफ करवाया गया तथा कानि0 के हाथों को भी साबून से धुलवाकर अच्छी तरफ साफ करवाया गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री जगन लाल मीणा के कार्यालय कक्ष की टेबल के बांयी तरफ के उपर के ड्रॉवर से निकाले गये कागजों (लूज पेपर), जिनमें से रिश्वत राशि बरामद हुई है उन कागजों में जिनके मध्य से रिश्वत राशि बरामद हुई उन कागजों के उपर का प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल तैयार कर एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क D-1 व D-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का 'D' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पष्चात् कानि. श्री विनोद कुमार से दोनों कांच के गिलासों को ट्रेप बॉक्स में रखे साबून से धुलवाकर अच्छी तरह से

साफ करवाया गया तथा कानि0 के हाथों को भी साबून से धुलवाकर अच्छी तरफ साफ करवाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस उक्त गवाहान एवं जाब्ते के साथ पुनः आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के कक्ष में आकर दो साफ कांच के गिलासो में पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री जयनारायण शर्मा, (अस्थाई प्राईवेट सहायक) के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गदमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गदमेला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पष्चात् कानि. श्री विनोद कुमार से दोनों कांच के गिलासों को ट्रेप बॉक्स में रखे साबून से धुलवाकर अच्छी तरह से साफ करवाया गया तथा कानि0 के हाथों को भी साबून से धुलवाकर अच्छी तरफ साफ करवाया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के लिये दूसरे लॉअर की व्यवस्था कर आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के पहनी हुई पेंट को उतरवाया जाकर दूसरी लॉअर पहनाया गया। तत्पष्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री जयनारायण शर्मा की उतरवायी गई पेंट की सामने की बांयी जेब (जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई) को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर धोवन लिया गयो तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी के वरवक्त पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क P अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितां0 के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री जयनारायण शर्मा की जामा तलाषी गवाह श्री राहुल से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेंट के सामने की अन्दर की जेब से कुल 53,000/- रूपये की राषि मिली, जिसके बारे में आरोपी श्री जयनारायण शर्मा को पूछने पर उसने बताया कि मुझे केसीसी ऋण का ब्याज जमा करवाना था जिसके लिये मैं 20,000/- रूपये मेरे घर से, 20,000/- रूपये मेरे परिचित श्री झम्मन जी से एवं 10,000/- हजार रूपये मेरे परिचित श्री हेतराम मास्टरजी के लडके से लेकर उधार लेकर आया था। जिसकी पुष्टि हेतु आरोपी के मोबाईल फोन से श्री झम्मन व श्री हेतराम मास्टरजी से वार्ता की गई तो आरोपी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। आरोपी का उक्त जबाव संतोषप्रद होने से उपरोक्त 53,000/- रूपये आरोपी के कहे अनुसार उसके पुत्र श्री गुलाबचन्द को पृथक से लौटाये जायेंगे। तत्पष्चात् स्वतंत्र गवाह श्री राहुल द्वारा आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के कब्जे से बरामद रिश्वत राशि 50,000/- रू0 मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत करने पर उक्त को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार गवाह श्री फाहद खान द्वारा आरोपी श्री जगन लाल मीणा के कब्जे से उसकी टेबल के ड्रॉवर के कागजात के बीच में से बरामद रिश्वत राशि 50,000/-रू0 मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत करने पर उक्त को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री जयनारायण शर्मा से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि यह राशि श्री इन्द्रसेन ने मुझे दी थी जिसे मैंने लेकर अपनी पेंट की जेब में रख लिया मैंने इनसे कोई राशि नहीं मांगी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित परिवादी को शेष फिनॉफथलीन युक्त राशि के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने शेष राशि 20,000/- रूपये अपने बेग में होना बताकर अपने बेग से 200-200 रूपये के नोटो की एक गड्डी निकालकर निकालकर प्रस्तुत की, उक्त नोटों को गिनवाने पर कुल 20,000/- रूपये होना पाया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये। बरामदशुदा नोटो को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री सीताराम, सहायक लेखाधिकारी को परिवादी से उसके बिल भुगतान के सम्बंध में दौराने सत्यापन तथा लेन-देन के दौरान मांगी गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री सीताराम ने परिवादी से किसी प्रकार की राशि की मांग किये जाने से इंकार किया । जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि मेरी फर्म के दो बिल पूर्व में पास हो चुके है तथा तीसरा बिल अभी पास हुआ है उसमें दूसरे तथा तीसरे बिल के भुगतान की एवज में श्री सीताराम, सहायक लेखाधिकारी के लिये बिलों की राशि 16,48,000 24,90,000/- रूपये का 01 प्रतिशत, जिसमें स्वयं के लिये 0.70 प्रतिशत तथा चीफ (मुख्य अभियंता, जयपुर) के लिये 0.30 प्रतिशत के हिसाब से लगभग 53,000/- रूपये राशि सत्यापन के समय श्री जयनारायण शर्मा ने श्री सीताराम के समक्ष हुयी सत्यापन वार्ता में मांग की है तथा श्री जयनारायण शर्मा ने उक्त बिलों की राशि का 0.15 प्रतिशत स्वयं के लिये तथा 0.15 प्रतिशत के हिसाब से अन्य कर्मचारी श्री रमेश के लिये लगभग 12,000/- रूपये तथा अन्तिम बिल की राषि 24,90,000/- रूपये के 03 प्रतिशत बतौर कमीशन श्री जगनलाल मीणा के लिये 70,000/- रूपये की मांग की है। श्री

जयनारायण शर्मा ने उक्त मांग के अनुसरण में अभी श्री सीताराम के कहे अनुसार उनके कमीषन की रिश्वत राशि , श्री रमेश की बतौर कमीशन रिश्वत राशि तथा स्वयं की बतौर कमीशन रिश्वत राशि मेरे से मांग कर प्राप्त की है तथा श्री जगनलाल मीणा ने अपने कमीशन की रिश्वत राशि मेरे से अपने ड्रॉवर मे रखवाकर प्राप्त की है। जिस पर श्री जयनारायण शर्मा को परिवादी से सम्बंधित कार्य की पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर उन्होंने अपनी टेबल पर रखी पत्रावली की ओर ईशारा कर बताया कि यही पत्रावली है। जिसका अवलोकन करने पर पाया कि परिवादी की फर्म द्वारा किये गये निर्माण कार्य के बिलों का भुगतान दिनांक 30.10.2024 तक हो चुका है परन्तु परिवादी के डेबिएशन बिल की राशि तथा टाईम एक्सटेंशन की राशि का भुगतान होना बाकी है। जिसके सम्बंध में आरोपी श्री जगन लाल मीणा से पूछने पर उन्होंने परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली को देखकर बताया कि उक्त डेबिएशन राशि तथा टाईम एक्सटेंशन की राशि के सम्बंध में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय से अग्रिम कार्यवाही होगी। जिसके लिये इस कार्यालय से रिकमण्डेशन अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में भिजवायी जानी है। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर पुनः सुना गया तो उसमें लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखा गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी सीताराम पुत्र श्री पलटूराम उम्र 55 साल निवासी सी-59, सूर्यनगर, पुलिस थाना वैशालीनगर जिला अलवर हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर आरोपी श्री जयनारायण शर्मा से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी की फर्म मैसर्स श्री बालाजी कन्स्ट्रक्षन कम्पनी द्वारा ग्राम टोडा ठेकला एवं राजौली (लालसोट) में किये गये निर्माण कार्य के बिल की राशि का भुगतान करने की एवज में परिवादी से बतौर कमीशन के तौर पर 53,000/- रूपये के अनुचित लाभ की मांग कर आज दिनांक 14.11.2024 को परिवादी से आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के मार्फत 50,000 रू अनुचित लाभ प्राप्त करना पाया गया तथा आरोपी श्री जयनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद शर्मा उम्र 68 साल निवासी ग्राम महाराज पुरा पोस्ट बारा भडकोल तहसील मालाखेडा अलवर हाल तिजारा फाटक, अलवर हाल अस्थाई प्राईवेट सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर द्वारा अन्य आरापीगण लोकेसेवक श्री सीताराम एवं श्री जगनलाल मीणा से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी की फर्म मैसर्स श्री बालाजी कन्स्ट्रक्षन कम्पनी द्वारा ग्राम टोडा ठेकला एवं राजौली (लालसोट) में किये गये निर्माण कार्य के बिलों की राशि का भुगतान करने की एवज में अन्य आरोपीगण तथा स्वयं के लिये बतौर कमीषन के तौर पर 53,000/- रूपये के अनुचित लाभ की मांग करना तथा आज दिनांक 14.11.2024 को दौरान कार्यवाही परिवादी से उसके उक्त कार्य के एवज में स्वयं तथा अन्य आरोपीगण के लिये 50,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री जगनलाल मीणा पुत्र स्व. श्री किशोरीलाल, उम्र- 52 साल, निवासी- ए-1, नर्सिंग वाटिका, जगतपुरा पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर ईस्ट आयुक्तालय जयपुर हाल- अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला अलवर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी की फर्म मैसर्स श्री बालाजी कन्स्ट्रक्षन कम्पनी द्वारा ग्राम टोडा ठेकला एवं राजौली (लालसोट) में किये गये निर्माण कार्य के बिल की राशि का भुगतान करने की एवज में आज दिनांक 14.11.2024 को परिवादी से बतौर कमीषन 50,000/- रूपये अनुचित लाभ की मांग कर प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री आरोपी 1. सीताराम पुत्र श्री पलटूराम उम्र 55 साल निवासी सी-59, सूर्यनगर, पुलिस थाना वैशालीनगर जिला अलवर हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधिषाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, 2. आरोपी श्री जयनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद शर्मा उम्र 68 साल निवासी ग्राम महाराज पुरा पोस्ट बारा भडकोल तहसील मालाखेडा अलवर हाल तिजारा फाटक, अलवर हाल अस्थाई प्राईवेट सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर तथा 3. आरोपी श्री जगनलाल मीणा पुत्र स्व. श्री किशोरीलाल, उम्र- 52 साल, निवासी- ए-1, नर्सिंग वाटिका, जगतपुरा पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर ईस्ट आयुक्तालय जयपुर हाल- अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपीगण को उनके जुर्म एवं संवेधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के प्रावधानों के तहत उक्त कार्यवाही एवं हाथ धुलाई की हमराहियान कानि0 श्री जीतराम नं0 204.से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में विभागीय मेमोरी कार्ड (खाली) लगाकर करवाई गई तथा होने वाली विडियो रिकॉर्डिंग को उक्त मोबाईल फोन के माध्यम से मेमोरी कार्ड में संरक्षित होना सुनिष्चित किया गया। जिसकी आईन्दा पृथक से नियमानुसार सीडिया तैयार की जावेगी। परिवादी की फर्म से सम्बंधित पत्रावली आरोपीगण के कार्य में उपलब्ध है जिनके सम्बंध में परिवादी ने बताया कि अभी उक्त पत्रावली में डेविएशन सम्बंधित अग्रिम कार्यवाही इसी कार्यालय स्तर पर होनी है इसलिये आईन्दा उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति पृथक से प्राप्त की जावेगी। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर के कार्यालय कक्ष को श्री रमेश कुमार जाटव, अस्थाई कर्मचारी तथा श्री धर्मचन्द शर्मा, अस्थाई कम्प्यूटर ऑपरेटर को सुरक्षित हालात में सम्भलाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं

बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान को निगरानी हेतु पुलिस थाना कोतवाली अलवर में दाखिल करवाया गया। दिनांक 15.11.2024 को समय 5.00 ए.एम पर दिनांक 10.09.2024 एवं 04.10.2024 को परिवादी श्री इन्द्रसेन व संदिग्ध अजय जोरवाल एईएन व उसके प्राईवेट सहायक रामवतार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 07.10.2024 को परिवादी व एएओ सीताराम के मध्य सत्यापन वार्ता, दिनांक 07.11.2024 को परिवादी व आरोपीगण श्री सीताराम एएओ, जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 14.11.2024 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी व आरोपीगण जगन लाल मीणा एक्सईएन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलवर व श्री सीताराम एएओ, जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक से हुई रिश्वत लेन देन वार्ताओ के वार्ता रूपान्तरण हेतु डीवीआर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर व लाउडस्पीकर के माध्यम से स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को सुनाई गई तथा रिकॉर्ड वार्तानुसार आवाज की पहचान परिवादी से करवायी जाकर वाईस क्लिप्ो का वार्ता रूपान्तरण करना प्रारंभ किया गया। तत्श्चात समय 9.30 ए.एम से 9.40 ए.एम के मध्य घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मौके की कार्यवाही की विडियो ग्राफी में प्रयुक्त मेमौरी कार्ड को जरिये फर्द जब्त किया गया। गिर्तारशुदा मुल्जिमान से पृथक पृथक पूछताछ की जाकर पृथक पृथक पूछताछ नोट से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये। गिरफतारशुदा मुल्जिमान को श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलवर के समक्ष पेश किया जाकर दिनांक 22.11.2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागृह अलवर में दाखिल करवाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अलवर से रवाना होकर समय 8.00 पी.एम पर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आया। तत्पश्चात दिनांक 16.11.2024 को प्रातः 8.00 ए.एम पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 10.09.2024 एवं 04.10.2024 को परिवादी श्री इन्द्रसेन व संदिग्ध अजय जोरवाल एईएन व उसके प्राईवेट सहायक रामवतार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 07.10.2024 को परिवादी व एएओ सीताराम के मध्य सत्यापन वार्ता, दिनांक 07.11.2024 को परिवादी व आरोपीगण श्री सीताराम एएओ, जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 14.11.2024 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी व आरोपीगण जगन लाल मीणा एक्सईएन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलवर व श्री सीताराम एएओ, जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक से हुई रिश्वत लेन देन की शेष वार्ताओ का वार्ता रूपान्तरण प्रारम्भ किया जाकर समय 8.00 पी.एम तक वार्ता रूपान्तरण किया गया तथा उक्त वार्ताओं की वॉयस क्लिपों को छः खाली डीवीडी में बारी-बारी से डाउनलोड किया गया। सभी डीवीडी को पुनः कम्प्यूटर/लेपटॉप पर चलाया जाकर सुना गया तो उसमें उपरोक्त वार्ताऐं दर्ज होना पाया गई। 5 डीवीडी को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में सीलकर सीलमोहर कर मार्क'B-1 (न्यायालय प्रति)- ' B -2' (अभियोजन प्रति), एवं मार्क - B -3' ' B -4', B -5' (आरोपीगण हेतु) अंकित किया गया एवं छठवीं डीवीडी B -6' को अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा जाकर सभी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर मेमौरी कार्ड को सफेद कागज में लपेटकर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी पर टेप चिपकाकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर मार्क 'SD-1' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। एवं फर्द वार्ता रूपान्तरण, बर्न सीडी एवं जब्ती मेमौरी कार्ड पृथक से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की कार्यवाही से 1. आरोपी श्री जगनलाल मीणा पुत्र स्व. श्री किशोरीलाल, उम्र- 52 साल, निवासी- ए-1, नर्सिंग वाटिका, जगतपुरा पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर ईस्ट आयुक्तालय जयपुर हाल- अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला अलवर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी की फर्म मैसर्स श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा ग्राम टोडा ठेकला एवं राजौली (लालसोट) में किये गये निर्माण कार्य के बिल की राशि का भुगतान करने की एवज में दिनांक 14.11.2024 को परिवादी से बतौर कमीषन 50,000/- रूपये अनुचित लाभ की मांग के अनुसरण में प्राप्त करना तथा 2. आरोपी श्री जयनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद शर्मा उम्र 68 साल निवासी ग्राम महाराज पुरा पोस्ट बारा भडकोल तहसील मालाखेडा अलवर हाल तिजारा फाटक, अलवर हाल अस्थाई प्राईवेट सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर द्वारा अन्य आरोपीगण लोकेसेवक श्री सीताराम एवं श्री जगनलाल मीणा से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी की फर्म मैसर्स श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा ग्राम टोडा ठेकला एवं राजौली (लालसोट) में किये गये निर्माण कार्य के बिलों की राशि का भुगतान करने की एवज में अन्य आरोपीगण तथा स्वयं के लिये बतौर कमीषन के तौर पर 53,000/- रूपये तथा अधिशाषी अभियंता जगन लाल मीणा के लिए 3 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 73,000 रूपये अधिशाषी अभियंता के लिए डिमांड की जाकर 70,000 रूपये अधिशाषी अभियंता को दिलवाने के लिए सहमत होकर अनुचित लाभ की मांग करना तथा दिनांक 14.11.2024 को दौरान कार्यवाही परिवादी से उसके उक्त कार्य के एवज में स्वयं तथा अन्य आरोपीगण के लिये 50,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना तथा 50,000 रूपये बतौर अनुचित लाभ अधिशाषी अभियंता जगन लाल मीणा को दिलवाया जाना व 3. आरोपी श्री सीताराम पुत्र श्री पलटूराम उम्र 55 साल निवासी सी-59, सूर्यनगर, पुलिस थाना वैशालीनगर जिला अलवर हाल सहायक लेखाधिकारी,

कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर आरोपी श्री जयनारायण शर्मा से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी की फर्म मैसर्स श्री बालाजी कन्स्ट्रक्षन कम्पनी द्वारा ग्राम टोडा ठेकला एवं राजौली (लालसोट) में किये गये निर्माण कार्य के बिल की राशि का भुगतान करने की एवज में परिवादी से बतौर कमीषन के तौर पर अनुचित लाभ की मांग कर दिनांक 14.11.2024 को परिवादी से आरोपी श्री जयनारायण शर्मा के मार्फत 50,000 रू अनुचित लाभ प्राप्त करने पर आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया हैं। जिनको वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 14.11.2024 को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में दाखिल करवाया गया हैं। इसके अतिरिक्त 4. आरोपी पवन कुमार जैन, बी.सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, लालसोट जिला दौसा द्वारा लोक सेवक होते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए आरोपी अजय जोरवाल एईएन दौसा से मिलीभगत कर परिवादी की फर्म श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन द्वारा एसएचसी टोडा ठेकला एवं राजौली में किये गये निर्माण कार्य को हैण्डऑवर टेकन ऑवर के नाम पर एक साईट के 10,000 रूपये, दोनो साईटो के कुल 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करके 13,000 रूपये रिश्वत स्वरूप प्राप्त करने के लिए सहमत होकर मांग करना, परिवादी को उपरोक्त निर्माण कार्य के उद्घाटन बाबत खर्चा भी अनुचित रूप से परिवादी को वहन करने हेतु कहा जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं तथा 5. आरोपी श्री अजय जोरवाल, सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला दौसा द्वारा लोक सेवक होते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए आरोपी पवन कुमार जैन बीसीएमओ लालसोट जिला दौसा से मिलीभगत कर परिवादी की फर्म श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन द्वारा एसएचसी टोडा ठेकला एवं राजौली में किये गये निर्माण कार्य को हैण्डऑवर टेकन ऑवर के नाम पर एक साईट के 10,000 रूपये, दोनो साईटो के कुल 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करके 13,000 रूपये रिश्वत स्वरूप श्री पवन जैन बीसीएमओ को देने के लिए कहना, परिवादी को उपरोक्त निर्माण कार्य के उद्घाटन बाबत खर्चा भी अनुचित रूप से परिवादी को वहन करने हेतु कहा जाना तथा परिवादी के बिल बनाने के नाम पर दौराने मांग सत्यापन अपने प्राईवेट सहायक रामवतार को 8,000 रूपये बतौर रिश्वत दिलवाया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं, इसी प्रकार 6. आरोपी श्री रामवतार, प्राईवेट सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला दौसा द्वारा आरोपी अजय जोरवाल से मिलीभगत कर परिवादी की फर्म श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन के निर्माण कार्या के बिल तैयार करने की एवज में दौराने मांग सत्यापन अवैध रूप से आठ हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर दिनांक 04.10.2024 को प्राप्त करना पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण क्रम सं0 4, 5, 6 का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया हैं आरोपीगण क्रम सं0 4,5,6 की प्रकरण में संलिप्तता के संबध्ं में विस्तृत अनुसंधान किया जाना अपेक्षित हैं। अतः आरोपीगण 1. श्री जगनलाल मीणा पुत्र स्व. श्री किशोरीलाल, उम्र- 52 साल, निवासी- ए-1, नर्सिंग वाटिका, जगतपुरा पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर ईस्ट आयुक्तालय जयपुर हाल- अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला अलवर 2. आरोपी श्री जयनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद शर्मा उम्र 68 साल निवासी ग्राम महाराज पुरा पोस्ट बारा भडकोल तहसील मालाखेडा अलवर हाल तिजारा फाटक, अलवर हाल अस्थाई प्राईवेट सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर 3. श्री सीताराम पुत्र श्री पलटूराम उम्र 55 साल निवासी सी-59, सूर्यनगर, पुलिस थाना वैशालीनगर जिला अलवर हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर 4. पवन कुमार जैन, बी.सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, लालसोट जिला दौसा 5. श्री अजय जोरवाल, सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला दौसा 6. श्री रामवतार, प्राईवेट सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला दौसा व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। (सज्जन कुमार) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता में आरोपीगण 1. श्री जगनलाल मीणा पुत्र स्व. श्री किशोरीलाल, उम्र- 52 साल, निवासी- ए-1, नर्सिंग वाटिका, जगतपुरा पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर ईस्ट आयुक्तालय जयपुर हाल- अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला अलवर 2. आरोपी श्री जयनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद शर्मा उम्र 68 साल निवासी ग्राम महाराज पुरा पोस्ट बारा भडकोल तहसील मालाखेडा अलवर हाल तिजारा फाटक, अलवर हाल अस्थाई प्राईवेट सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर 3. श्री सीताराम पुत्र श्री पलटूराम उम्र 55 साल निवासी सी-59, सूर्यनगर, पुलिस थाना वैशालीनगर जिला अलवर हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर 4. पवन कुमार जैन, बी.सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, लालसोट जिला दौसा 5. श्री अजय जोरवाल, सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

जिला दौसा 6. श्री रामवतार, प्राईवेट सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला दौसा व अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल यादव, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 243 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1460-66 दिनांक 18-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर 4- निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 5-निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर, 6-शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 7- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** **(जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: /2024

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1972				
2	Male	01/03/1969				
3	Male	1956				
4	Male	17/02/1986				
5	Male	1989				
6	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)